WWW.LIVELAW.IN

किशोर न्याय परिषद्, बिहारशरीफ (नालंदा)

सामान्य पंजिका संख्या :– 5998/2021

नालन्दा थाना काण्ड संख्याः– 165/2021

जे0जे0बी0 केस नं0 :– 660/2021

आरोप अन्तर्गत धारा :– 377 भा.द.सं. एवं 4 पॉक्सो एक्ट

निर्णय तिथि :– 27/11/2021

.....सूचिका

बनाम

विधि विरूद्ध किशोर एस0 कुमार वल्द– एस0 पासवान, साकिन–नालन्दा, थाना– नालन्दा, जिला–नालंदा

उपस्थिति :–श्री मानवेन्द्र मिश्र (प्रधान दंडाधिकारी)

श्रीमती उषा कुमारी (सदस्या)

अभियोजन कि ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी

प्रतिरक्षा की ***श्री अभय किशोर, श्री उमेश कुमार*** **वि0 अधिवक्ता**

दिनांकितः– 27 नवम्बर 2021

–: अंतिम आदेशः–

1. विधि विरूद्ध किशोर एस0 कुमार वल्द– एस0 पासवान, साकिन–नालन्दा, थाना– नालन्दा, जिला–नालंदा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 एवं 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध करने का आरोप है।
2. **संक्षिप्त में अभियोजन का मामला यह है कि** सूचिका साकिन–नालंदा, थाना+जिला–नालंदा का स्थाई निवासी हैं। दिनांक 8.10.21 को समय करीब 2:00 बजे दोपहर में अपनी पुत्री की खोज बिन कर रही थी तो पुत्री के रोने की आवाज सुनकर वह अपने घर के बगल में आर0 पासवान के घर गयी जहाँ एस0 कुमार ने उनके बच्ची को कमरे में बंद कर रखा था, तब वह दरवाजा खोलकर अन्दर गई तो देखी कि उनकी पुत्री काफी सहमी हुई थी और उसके पीछे पैखाने वाले रास्ते से खून बह रहा था। जब वह अपनी बच्ची को उठाकर लेना चाही तो देखा कि एस0 कुमार कमरा में है उसके बाद वह भाग गया। उनकी बच्ची इशारा में बताई कि मेरा पैंट खोलकर गंदा काम करने का प्रयास कर रहा था। उनकी बच्ची की उम्र 4 वर्ष है।
3. दिनांक 08/10/2021 को सूचिका के मौखिक कथन को लेखबद्ध करते हुए दिए गए आवेदन के आधार पर नालन्दा थाना काण्ड संख्या 165/2021, भारतीय दंड संहिता की धारा

WWW.LIVELAW.IN
341/377 भा.द.सं. एवं 8/12 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत एस0 कुमार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।

4. दिनांक 09/10/2021 को विधि विरूद्ध किशोर का अभिलेख पु0अ0नि0 नालन्दा थाना, नालन्दा के द्वारा अग्रसारण प्रतिवेदन, गिरफ्तारी ज्ञापन के साथ आरोपित किशोर एस0 कुमार को अभिलेख के साथ किशोर न्याय बोर्ड, नालंदा में प्रस्तुत किया गया।

5. दिनांक 03/11/2021 को विधि विरूद्ध किशोर एस0 कुमार प्रथम दृष्ट्या देखने से लगभग 14 वर्ष प्रतीत होता है जो 18 वर्ष से कम है। अतः किशोर न्याय परिषद द्वारा विधि विरूद्ध एस0 कुमार को किशोर घोषित किया गया।

6. दिनांक 25/11/2021 को किशोर के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 377 एवं 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोप गठन कर आरोप का सारांश विधि विरूद्ध किशोर एस0 कुमार को हिंदी में पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया, विधि विरूद्ध किशोर ने अपने उपर लगे आरोप को अस्वीकार करते हुए जांच का दावा किया।

7. दिनांक 26/11/2021 को विधि विरूद्ध किशोर का दंड प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत बयान लेखबद्ध किया गया। उक्त बयान में उसने अपने आपको निर्दोष होने का कथन किया।

8. मुझे यह विनिश्चित करना है कि क्या अभियोजन अपने मामलें को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

—:मंतव्यः—

9. अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन की ओर से कुल पाँच साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01. डॉ0 सीमा प्रकाश (चिकित्सक), अभियोजन साक्षी संख्या 02. (सूचिका), अभियोजन साक्षी संख्या 03. (पीड़िता), अभियोजन साक्षी संख्या 04. सपना कुमारी उर्फ सुमन, अभियोजन साक्षी संख्या 05. माया कुमारी यादव (अनुसंधानकर्ता),

10. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रदर्श अंकित कराया गया है।

- पदर्श 01:— मेडिकल रिपोर्ट (पीड़िता का जख्म रिपोर्ट)
- प्रदर्श 02:— जप्ती सूची विधि विरूद्ध किशोर का खून का धब्बा लगा हुआ कपड़ा
- प्रदर्श 03:— जप्ती सूची विधि विरूद्ध पीड़िता का खून का धब्बा लगा हुआ कपड़ा
- प्रदर्श 04:— सूचिका का 164 का बयान
- प्रदर्श 05:— सपना कुमारी का 164 का बयान
- प्रदर्श 06:— विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना का रिपोर्ट
- प्रदर्श 07:— आरोप पत्र
- प्रदर्श 08:— गिरफ्तारी ज्ञापन
- प्रदर्श 09:— फॉर्मल एफ आई आर पर थानाध्यक्ष का हस्ताक्षर
- प्रदर्श 10 :— लिखित एफ0आई0आर0 का पृष्ठांकन

WWW.LIVELAW.IN

- इस संबंध में पीड़िता जो कि अभियोजन साक्षी संख्या–7 है, का साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीड़िता ने अपने परीक्षण के दौरान कहा कि **''एस0 कुमार ने हमको ईमली तथा चॉकलेट देने को बोला तथा बुलाकर अपने घर में ले गया वहाँ हमको लेटा दिया (पीड़िता इशारा करके बताती है कि पीछे पैखाने के रास्ते में दर्द होता है।)''** इस बिन्दु पर पीड़ित बच्ची का जख्म परीक्षण कर चिकित्सक ने जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया है जो अभिलेख पर प्रदर्श– 01 के रूप में उपलब्ध है में यह अंकित है कि injury two red abrasion of size ¼"x1/10" linear situated on anal margin anteriorly caused by hard blunt substance **अर्थात पीड़ित बच्ची के गुदा मार्ग मे चिकित्सक ने भी अपने परीक्षण के दौरान जख्म पाये हैं।** एफ0एस0एल0 के रिपोर्ट जो प्रदर्श–6 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध है से भी इस बात की पुष्टि होती है। बचाव पक्ष इस बिन्दु पर कोई उल्लेखनीय विषंगति लाने म असफल रहा है।
- प्रस्तुत मामले में विधि विरूद्ध किशोरों द्वारा सुनियोजित तरीके से एकान्तता का लाभ उठाकर पीड़िता को एक छत पर खाली कमरे में ले जाया गया तथा किवाड़ को बन्द कर लिया गया एवं उसके द्वारा लैंगिक अपराध कारित किया गया। घटनास्थल से ही अनुसंधानकर्ता ने बोरा जिसपर खून के धब्बे लगे हुए थे तथा पीड़िता के द्वारा पहने गए पैंट जो गीला अवस्था में था एवं फ्रॉक जिसपर भी खून के कुछ दाग लगे हुए थे पीड़िता के पास से जप्त कर जाँच हेतू विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना भेजा गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट जो प्रदर्श–6 है। जिसमें प्लास्टिक की बोरा को से अंकित किया गया है एवं एफ0एस0एल0 की रिपोर्ट में यह उलिलिखत है कि (1) Blood has been detected at place in each of the exhibits marked ii, iii/A and iii/B (2) Semen has been detected in the exhibits marked iii/A and iii/B (3) SEROLOGICAL REPORT ON ORIGIN AND GROUP OF BLOOD AND SEMEN WOULD FOLLOW. वहीं हम जानते है कि एफ0एस0एल0, exhibits-III/A, विधि विरूद्ध किशोर का खून का धब्बा लगा हुआ एवं Semen युक्त कपड़ा है। exhibits-II प्लास्टिक के बोरा पर पाया गया खून का धब्बा है। exhibits-III/B, पैजामा जिसपर खून का धब्बा लगा हुआ था एवं उस पर Semen पाया गया। इस रिपोर्ट के SEROLOGICAL ANALYSIS का अवलोकन करते हैं तो Human Blood होने की बात बताई गई है।

उभय पक्षों की बहस, अभिलेख का अवलोकन, प्रस्तुत साक्ष्यों का विवेचन एवं परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियोजन विधि विरूद्ध किशोर एस0 कुमार के विरूद्ध अभियोजन ने अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

–:आदेश:–

ऐसे में तथ्य एवं परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष किशोर एस0 कुमार के विरूद्ध लगाये गये भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भा.द.सं. एवं 4 पॉक्सो एक्ट के आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु अभिलेख मध्यान्तर पश्चात प्रस्तुत करें।

WWW.LIVELAW.IN

दोनों पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि अपचारी विधि विरूद्ध किशोर का प्रथम अपराध है। सामाजिक अन्वेषन रिर्पोट अभिलेख पर है तथा दिनांक 08/10/2021 से लगातार विधि विरूद्ध किशोर न्यायिक अभिरक्षा में आवासीत है और किशोर घटना के समय लगभग 14 वर्ष का था, अतः उसे कम से कम सजा दी जाये। अभियोजन द्वारा यह कथन किया गया है कि विधि विरूद्ध किशोर द्वारा अप्राकृतिक यौनाचार, लैंगिग हमला जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। घटना के समय किशोर शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण सुदृढ़ वह अपने द्वारा कारित किये जाने वाले अपराध की प्रकृति एवं परिणाम से पूर्णरूपेण अवगत था। अपराध करने की रीति **(4 वर्षीय बच्ची को सुनसान छत पर बने कमरे में ईमली और चॉकलेट का लालच दकर ले जाना, अप्राकृतिक यौनाचार करना तथा घटनास्थल से फरार हो जाना, ये सब अपने आप में साबित करने के लिए पर्याप्त है कि किशोर मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपराध कारित करने में सक्षम था।**

घटना की परिस्थिति सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत यह परिषद् सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि **जिस देश की मूल संस्कृति में हो "यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जिस देश में कुमारी कन्या (छोटी बच्ची) को देवी का स्वरूप मानकर कन्या पूजन की परम्परा अनादी काल से चली आ रही हो, नारी के अपमान का बदला लेने के लिये भगवान राम द्वारा दूसरे देश में जाकर रावण को समूल नष्ट कर देने, नारी के अपमान (चीरहरण) का बदला लेने के लिये जहाँ अपने बाँधवों से भी महाभारत जैसी भीषण युद्ध करने का प्राचीन इतिहास मौजूद हो, उस देश में ऐसी पशु प्रवृति (चार वर्ष की बच्ची पर लैंगिक हमला) वह भी किशोर द्वारा निश्चित रूप से समाज के लिये चिन्ता का विषय है, ऐसी प्रवृति को रोकने के लिये तथा किशोरों में अच्छे संस्कार महिलाओं के प्रति सम्मान विकसित करने के लिये हमें अपनी समाज में जागरूकता लानी होगी।** अपचारी किशोर चुकि उस समय लगभग 14 साल का था उसने सुनियोजित तरीके से अपराध को कारित किया। दंड विधि की अपनी अपेक्षाएं हैं कि अगर कोई भी अभियुक्त अपने पूर्ण ज्ञान में किसी अपराध को कारित करता है, तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। यहां विधि विरूद्ध किशोर द्वारा अप्राकृतिक यौनाचार जैसे जघन्य अपराध को कारित किया गया है तथा बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षण गृह के काउंसलर ने भी अपने कांउसलिंग के दौरान यह पाया कि किशोर यौन कामन्धता जैसे मनोविकृति से अन्तरग्रस्त है तथा उसे समय–समय पर बेहतर काउंसलिंग कर ही मुख्य धारा में लाया जा सकता है। उसे अभी छोड़ना समाज एवं स्वयं किशोर के सर्वोत्तम हित में नहीं है। अतः उसे आवासन अवधि के दौरान नियमित तौर पर अनुशासित माहौल अनैतिक कार्यों के उसके करने की प्रवृति को दूर करने के लिए अभी और आवासन की आवश्यकता है जिससे किशोर का स्वस्थ मानसिक विकास हो सके।

WWW.LIVELAW.IN

अतः विधि विरूद्ध किशोर एस0 कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में तीन वर्ष का आवासन एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में तीन वर्ष तक के लिए आवासित रखने का आदेश दिया जाता है। सभी सजा साथ साथ चलेंगी। विधि विरूद्ध किशोर द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि अभिरोपित अवधि में मुजरा की जायेगी।

कार्यालय लिपिक विधि विरूद्ध किशोर को निर्णय की प्रति तत्काल निःशुल्क उपलब्ध करायें।

कार्यालय लिपिक अधीक्षक विशेष गृह को इस निर्देश के साथ एक पत्र प्रेषित करें कि आवासन अवधि के दौरान किशोर की नियमित कौंउंसलिंग एवं पठन–पाठन की सम्यक व्यवस्था करें। किशोर के आचरण एवं व्यवहार में आ रहे परिवर्तन से किशोर न्याय परिषद्, नालंदा को प्रत्येक छः माह पर अवगत करायें जिससे किशोर के राहत, पुनर्वासन, संरक्षण एवं परिरक्षण के संबंध में पश्चातवर्ती देखभाल जैसी योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से हो सके।

कार्यालय लिपिक इस निर्णय की प्रति माननीय न्यायालय A.D.J.-VII-cum-Special Judge POCSO Court Biharsharif को पीड़ित का प्रतिकर प्रदान करने हेतु अविलम्ब प्रेषित करें।

अंतिम आदेश टंकित, संशोधित तथा खुले बोर्ड में सुनाया गया तथा किशोर के विरूद्ध जांच कार्यवाही को बंद किया जाता है। अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

श्रीमती उषा कुमारी
(सदस्या)

श्री मानवेन्द्र मिश्र
(प्रधान सदस्य)